HRA AN UNIONALIA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग]]—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART []—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155|

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 155]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ (नियंत्रक पदार्थों का विनियम), आदेश 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. परिभाषाएं.—(1) इस आदेश में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;
 - (ख) "परिशिष्ट" से इस आदेश से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत हैं;
 - (ग) "प्ररूप" से इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (घ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
- 3. अनुसूची में नियंत्रित पदार्थों को सम्मिलित करने की शक्ति,—केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में नियंत्रक या अधिक किसी नियंत्रित पदार्थ को सम्मिलित कर सकेगी ।
- 4. अनुसूची 'क' में, नियंत्रक पदार्थों के विनिर्माण, व्यापार और वाणिज्य, कब्जा और उपभोग का प्रतिषेध,—(1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 'क' में सम्मिलित किसी नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, संग्रहण या उपभोग, आंचलिक निर्देशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो द्वारा जारी प्ररूप 'क' में किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के बिना नहीं करेगा:

परंतु इस खंड के अधीन रिजस्ट्रीकरण की अपेक्षा इस आदेश के प्रभावी होने के 180 दिन की अविधि के भीतर अनुपालन करना होगा। परंतु यह और कि सरकार या खायत शासी संस्थानों, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों, रिजस्ट्रीकृत वैज्ञानिक सोसाइटियों और अस्पतालों को शैक्षिक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए अनुसूची-क में किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग के लिए रिजस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त हैं।

- (2) उपखंड (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरों को प्ररूप-ख में करना होगा ।
- (3) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, प्ररूप -ख में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप क में कोई विशिष्ट रिजस्ट्रीकरण संख्या जारी करेगा या रिजस्ट्रीकरण से इंकार करेगा।
- (4) नियत समयाविध के भीतर रिजस्ट्रीकरण संख्या जारी या इंकार नहीं करने की दशा में, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी आवेदक को उसके कारणों की जानकारी देगा।
- (5) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ग या प्ररूप-घ में दैनिक खाते रखेंगे और दैनिक खातों के अभिलेख अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अविध के लिए सुरक्षित रखने होंगे।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ङ या प्ररूप-च में त्रैमासिक विवरणी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरों को फाइल करेगा ।
- (7) प्रत्येक त्रैमासिक विवरणी, उक्त त्रैमासिक के आगामी मास की अंतिम दिन से पहले फाइल करनी होगी ।
- (8) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत है, अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों के किसी क्षिति या गायब हो जाने से संबंधित रिपोर्ट तत्काल संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरों को जिसके अधिकार क्षेत्र से ऐसी क्षिति या गायब हो जाने की घटना हुई है, देगा और रिपोर्ट की प्रति महानिदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरों, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता का क्षेत्र परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों का आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो होगा ।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "त्रैमासिक" पद से प्रत्येक वर्ष के जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्तूबर से दिसंबर है।

- 5. रिजस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण- खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी रिजस्ट्रीकरण संख्यांक का कोई घारक, यदि वह ऐसी वांछा करता है, जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित में सूचना द्वारा अपने रिजस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करेगा और उसकी अभिप्राप्ति प्राप्त करेगा।
- 6. रिजस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर स्टाक का निपटान- खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी किसी रिजस्ट्रीकरण संख्यांक के धारक के कब्जे में अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों का स्टाक अपने

١,

रिजस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर ऐसी रीति में निपटान होगा जो इस निमित्त जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

- 7. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का परिवहन- (1) अनुसूची -क में, नियंत्रित पदार्थों का परेषण भारत के भीतर एक स्थान से अन्य स्थान पर नहीं भेजेगा जब तक कि वह प्ररूप-झ में किसी पारेषण टिप्पण के साथ न हो ।
- (2) परेषण टिप्पण तीन प्रतियों में तैयार होगा और परेषण टिप्पण की मूल और दूसरी प्रतियां परेषिती को परेषण के साथ भेजनी होगी जो उसे प्राप्त परिमाण की विशिष्टियों को मूल और दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन करने के पश्चात् दूसरी प्रति परेषणकर्ता को रखने के लिए वापस कर देगा।
- (3) नियंत्रित पदार्थों के परेषण की प्राप्ति की अभिप्राप्ति परेषिती से सम्यक् रूप से पृष्ठांकित होने के पश्चात् परेषणकर्ता द्वारा दूसरी प्रति के प्राप्त न होने की दशा में परेषणकर्ता परेषण की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर खंड (4) के उपखंड (8) में उपबंधित रीति में परेषण के खो जाने या गायब हो जाने की रिपोर्ट करेगा।
- (4) भारत में आयातित अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के किसी परेषण की दशा में, ऐसा परेषण, यथास्थिति, आयातकर्ता या उपभोक्ता के किसी भांडागारण या कारखाना या कारबार के स्थापन या परिसर से प्रवेश के पत्तन से ऐसा परेषण प्रवेश पत्र के साथ होगा ।
- (5) यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र, यथास्थिति, परेषण और परेषिती या आयातकर्ता द्वारा पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे ।
- (6) कोई परिवाहक अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का कोई परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र के बिना वहन नहीं करेगा ।
- (7) परिवाहक अधिनियम की धारा 42 के अधीन संशक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब अपेक्षित हो, यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करेगा ।
- (8) (क) जब अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ पैकेजिंग द्वारा मोटरचालित टैंकर या अन्यथा परिवहन किए जाते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे टैंकरों या पैकेजों के सभी आवक और जावक छेड़छाड़ से सुरक्षित वर्णनों की पहचान करने योग्य मुहरों द्वारा मुद्रांकित होंगे और ऐसी मुहर परेषण के परिसर में लगायी जाएगी और परेषिती के परिसर से हटायी जाएगी।
 - (ख) ऐसे टैंकरों या पैकेजों पर लगायी गई छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर का वर्णन प्रत्येक परेषण के परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र पर अंकित होगा ।
 - (ग) कोई भी व्यक्ति कोई छेड़छाड़ से सुरक्षित ऐसी मुहर का उपयोग या कब्जे में नहीं रखेगा जिसका किसी अन्य छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर के समरूप पहचान योग्य विवरण हो ।
- (9) जब अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ का कोई परेषण किसी आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र से आता है, परेषण प्ररूप- च में आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रवेश पत्र" पद से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में यथापरिभाषित अर्थ के समान है।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

8. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का विक्रय- कोई व्यक्ति अनुसूची- क में किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय किसी क्रेता को जो खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी कोई विद्यमान रिजस्ट्रीकरण संख्या नहीं रखता है, नहीं करेगा:

परंतु किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय खंड (4) के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट किसी क्रेता को बिना रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के कर सकेगा ।

- 9. अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों को नष्ट करना- (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने के आशय से क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरों को प्ररूप झ में आवेदन करेगा।
- (2) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो प्ररूप- झ में किसी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर एक समिति गठित करेगा जो स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के एक राजपत्रित अधिकारी, संबंधित रेंज के केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीक्षक और अनुसूची -क में नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने का पर्यवेक्षण करने वाले आवेदक का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी तथा ऐसा नष्टकरण समिति के गठन से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

- 10. अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों का निर्यात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची ख में नियंत्रित किसी पदार्थ का निर्यात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार के सिवाए नहीं करेगा ।
- (2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ख में किसी नियंत्रित पदार्थ का निर्यात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप -ज में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा ।
- (3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापित प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अविध के भीतर अनापित प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा।
- (4) स्वापक आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमान्य होगा ।
- (5) प्रत्येक निर्यातकर्ता, अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों के निर्यात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को निर्यात के सात दिनों की अविध के भीतर देगा।

- 11. अनुसूची ग में नियंत्रित पदार्थों का आयात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची -ग में नियंत्रित किसी पदार्थ का आयात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के शर्तों के अनुसार के सिवाएं नहीं करेगा ।
- (2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ग में किसी नियंत्रित पदार्थ का आयात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप -ट में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा !
- (3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापित प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अविध के भीतर अनापित प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा।
- (4) स्वापक आयुक्त द्वारा आयत के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमान्य होगा ।
- (5) प्रत्येक आयातकर्ता, अनुसूची -ग में नियंत्रित पदार्थों के आयात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को आयात के सात दिनों की अवधि के भीतर देगा।
- 12. निर्यात और आयात के परेषण पर लेबल लगाना- (1) प्रत्येक आधान या पात्र, जिसमें आयात के लिए किसी परेषण में या किसी परेषण में जिसे निर्यात किया गया है, कोई नियंत्रित पदार्थ है के लेबल पर नियंत्रित पदार्थ का नाम और उसका परिमाण, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता या परेषिती का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रमुख रूप से देना होगा ।
- (2) नियंत्रित पदार्थों के आयात और निर्यात से संबंधित दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेजों जिसके अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता अंतर्विष्ट भी हो और दस्तावेज न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखने होंगे।
- 13. निरसन और व्यावृत्ति— (1) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, खंड (1) द्वारा निरसित आदेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई वहां तक, जो इस आदेश के उपबंधों से असंगत न हो, इस आदेश के उपबंधों के तत्स्थानी के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची [खंड 2(घ) देखिए]

अनुसूची- क (अनुसूची- क ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, भंडारण और उपभोग इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्यधीन है।)

- 1. एसिटिक एनहाईड्राइड
- 2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
- 3. एनथ्रानिलिक अम्ल
- 4. एफ्रेंड्राइन और उसके लवण
- स्यूडोफिड्रीन और उसके लवण

अनुसूची- ख (अनुसूची- ख ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्यधीन है)

- 1. एसिटिक एनहाईड्राइड
- 2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
- 3. एनथ्रानिलिक अम्ल
- एफ्रेंड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
- 5. इरगोमेट्राइन और उसके लवण
- 6. इरगोटेमाइन और उसके लवण
- 7. आइसोसेफ्रोल
- 8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
- 9. 3, 4- मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
- 10. मिथाइल एथिल कीटोन
- 11. नोर्फेंड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
- 12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
- 13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
- 14. पिपरोनाल
- 15. पोटैशियम परमैगनेट
- 16. स्यूडोफिड्रीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
- 17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

अनुसूची- ग (अनुसूची- ग ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत में आयात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्यधीन है ।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड

- 2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
- 3. एनथ्रानिलिक अम्ल
- 4. एफ्रेड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
- 5. इरगोमेट्राइन और उसके लवण
 - इरगोटेमाइन और उसके लवण
 - 7. आइसोसेफ्रोल
 - 8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
 - 9. 3, 4- मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
 - 10. मिथाइल एथिल कीटोन
 - 11. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
 - 12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
 - 13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
 - 14. पिपरोनाल
 - 15. पोटैशियम परमैगनेट
 - 16. स्यूडोफिड्रीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
 - 17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

परिशिष्ट

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र
1	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक इकाई,
		पश्चिमी ब्लाक सं0 1, विंग नं0 7, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066 । फैक्स नं0 011-26181449
2.	राजस्थान राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) ।	l
3.	उत्तर प्रदेश राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) और उत्तराखंड ।	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,

4.	पश्चिमी बंगाल, ओडीशा, सिक्किम	आंचलिक निदेशक,
	राज्य तथा अंदमान और निकोबार दीव	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
	समूह के संघ राज्यक्षेत्र ।	पूर्वी आंचलिक इकाई, कोलकाता,
	सिनूह पर सम् राज्यस्त्र ।	4/2 कराया रोड, तीसरा तल,
		कोलकाता, पश्चिमी बंगाल- 700017 ।
		फैक्स नं0 033-22891957
-	THE THE THE THE	आंचलिक निदेशक,
5.	महाराष्ट्र और गोवा राज्य	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
		मुम्बई आंचलिक इकाई,
		तीसरा तल, एक्सचेंज बिल्डिंग, स्प्रोट रोड,
		बलार्ड एस्टेट,
		मुम्बई, महाराष्ट्र- 400001 आंचेलिक निदेशक,
6.	केरल, तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी	आचालक ।नदशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
	और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र ।	चेन्नई आंचलिक इकाई,
ļ	,	सी-3ए, राजाजी भवन,
		बेसंट नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600090 । फैक्स नं0 044-24910937
		
7.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य और	· .
	चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र ।	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ आंचलिक इकाई,
		इलैक्ट्रिक स्टोर बिल्डिंग,
		चितकारा इंट. स्कूल,
		सेक्टर- 25(वेस्ट), चंडीगढ़
		फैक्स नं0 0172 - 2780108 आंचलिक निदेशक,
8.	जम्मू-कश्मीर राज्य ।	आयालक अनंदराक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
	1	<u>-</u> 1 .
		जम्मू आंचलिक इकाई, चंदन विहार, म0सं0 1, लेन-1,
4		
		लोअर रूप नगर, मुथी कैम्प, जम्मू,
ļ		जम्मू-कश्मीर - 180005 ।
		फैक्स गं . 00191-2598029
9.	गुजरात राज्य तथा दमन और दीव तथा	l
	दादरा और नागर हेवली के संघ	1 - 1
	राज्यक्षेत्र ।	अहमदाबाद आंचलिक इकाई,
		दूसरा और तीसरा तल, स्क्रीन बिल्डिंग,
		ब्राइव-इन-सिनेमा, ब्राइव-इन-रोड,
		थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात- 380054
		फैक्स नं0 079- 27497330

10.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ।	आंचलिक निदेशक,
		स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
į	1	इंदौर आंचलिक इकाई,
		19/सी/ए/एसएलआईसीई-5, विजय नगर
		"अरण्य", डाकघर- विजय नगर
		इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010
		फेक्स नं0 0731- 2557701
11.	बिहार और झारखंड राज्य ।	आंचलिक निदेशक,
' '		स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
		पटना आंचलिक इकाई,
		67, कौटिल्य नगर,
		नियर वीबी कालेज पटना- 14, बिहार !
		फैक्स नं0 0612-2296159
12.	असम्, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,	आंचलिक निदेशक,
12.	मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
	राज्य ।	गुवाहाटी आचालक इकाइ,
		मकान नं0 25, एस.के. बस्आ रोड,
		पहला बाइ-लेन, दिसपुर, गुवाहाटी,
1		असम- 781006 I
		फैक्स नं0 0361- 2229375
13.	कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्य	आंचलिक निदेशक,
13.	dylical on any arm in the	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
		बंगलौर आंचलिक इकाई,
		7/1 और 2, प्रियंका विलास, रमन्ना गार्डेन,
		कटिगेनहल्ली, बग्लूर मेन रोड,
		पोस्ट- एयर फोर्स स्टेशन येल्हंका, बंगलौर,
		कर्नाटक - 560063 ।
		फैक्स नं0 080- 28478316
1		

प्ररूप÷क [खंड-4 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/मंडारण/उपमोग के लिए रजिस्टीकरण

		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
रजि	स्ट्रीकरण संo	जारी करने की तारीख	
		(नाम और पता)	.को
ानम	ालाखत के लिए रजिस्ट्रीकृ	त किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें)	
(1)	विनिर्माण	(2) वितरण	
(3)	विक्रय	(4) क्रय	
(5)	कब्जा	(6) भंडारण	
(7)	उपभोग	(8) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	.

अनुसूची-क में निम्नलिखित नियंत्रित पदार्थ

क्रम सं0	अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ का नाम	परिसर के ब्योर
		
L		1

2. यह रजिस्ट्रीकरण नीचे वर्णित शर्तों और कुछ अन्य शर्तों जो कि ततसमय प्रवृत्त स्वापक ओषि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन विनिर्दिष्ट आदेश के अध्यधीन है।

	हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर	पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में
	पद नाम

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

- 1. यह रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं है।
- 2. यह रजिस्ट्रीकरण अनुमोदित परिसर में रखा जाएगा और यह रजिस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी अभिहित/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।
- 3. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ से भिन्न किसी अन्य पदार्थ जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है क्रमशः इसमें वर्णित परिसर में उसका विनिर्माण नहीं होगा ।
- 4. इस रिजस्ट्री का धारक, रिजस्ट्रीकरण के अधीन प्रचालित व्यक्ति या अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन की घटना की जानकारी इस रिजस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी को लिखित में देगा । व्यक्ति जहां अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन होने की स्थिति में वर्तमान रिजस्ट्रीकरण परिवर्तन होने की तारीख से अधिकतम तीन माह की अविध विधिमान्य समझी जाएगी, जब तक कि इस अविध में परिवर्तित गठन के साथ व्यक्ति या अस्तित्व के नाम से यह रिजस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया है।

प्ररूप-ख

[खंड-4 का उप-खंड (2) देखें] अनुसूची-क नियंत्रित पदार्थ के दिनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/मंडारण/उपभोग के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

<u> </u>					-		कार	लिय												
रजिस्ट्री	करण	ti o							7	गरी	कर	ने की	ता	रीख ——	<u> </u>					
<u>भाग-1</u> (क)	अनुसू	ची-क	ं निय	ंत्रित	पदा	र्थ उ	गैर उ	उसके	लव	णि	जनवे	रे रि	गस्ट्री	करण	व के	लिए	आवे	दन 1	केया	
गया है	:																			
(1)																				
(2)																				
(3)																			i	
(4)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	•																
(5)			·····	•																
(ख) चिन्ह द	रजिर नगाए)	ट्रीकर	रण वे	रे प्रय	गोजन	জি	सके	लिए	आवे	दन 1	किय	ा जा	रहा	है (कृपय	া ড	चेत र	खाने	में √	I
(1)	विनिर्मा	ण					<u>-</u>		(2	2)	विव	तरण								
(3)	विक्रय								(4	I)	क्र	य					[
(5)	्कब्जी	,·							(6	3)	भं	डारण								
(7)	ं उपभो	П							(8	3)	37	न्य (वृ	_. पया	विनि	र्दिष्ट	करें)	[
भाग-2 	2																			
(क)	आवे	दक व	का न	ाम																
(ख)	पिन	कोड	/दूरभ	ाष/प	हैक्स	नंब	र (श	हर द	हे को	ड व	ने स	थि)/ः	ई-मेर	न के	साध	। पूरा	पता	:: 		
Ì												<u> </u>		 	<u> </u>	<u> </u>	-			
		ļ												 	 					
-	 	ļ <u> </u>	_						— 			 								
-	-	-			-										ļ		<u> </u>	_	 	-
一												╁-	<u> </u>	 	 			├	 	
			,		1		1	1 _	<u> </u>		<u></u>	<u> </u>			┷	1	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			1

(ग) स्थाई लेखा संख्या (पेन) का ब्यौर	T.
--------------------------------------	----

1) पेन (य	दि जारी हु	आ है)	:				
 2) आवेदक	का नाम	जैसे पैन म	नें दर्शित है	:			
					Ţ 		

3) यदि पेन जारी नहीं हुआ है, तो

हां/नहीं

क्या उसके लिए आवेदन किया है


(इसके संबंध में साक्ष्य की प्रतिलिपि दी जाए)

(घ) कारबार का गठन (उचित खाने में √ लगाए)

स्वत्यधारी	भागीदारी	
रजिस्ट्रीकृत कंपनी	अरजिस्ट्रीकृत कंपनी	
न्यास	सोसाइटी	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

टिप्पण: भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी के ब्यौरे /रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत कंपनी की दशा में, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ब्यौरे/ सोसाइटी/न्यास की दशा में, अध्यक्ष और सदस्यों/न्यासी के ब्यौरे / कोई अन्य की दशा में उसके कारबार के प्रबंधन से जुड़े मुख्य कार्मिक के ब्यौरे एक अलग कागज में प्रस्तुत करें । ब्यौरे के अंतर्गत पूरा नाम/संपर्क (पूरा पता पिन कोड/दूरभाष/फैक्स नंबर (शहर कोड सहित)/ई-मेल/किसी सरकारी संगठन/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की प्रतिलिपि/दोषसिद्धि का ब्यौरा/स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन लंबित कोई मामले।

(डं) कारबार परिसर का पिन कोड/दूरभाष/फैक्स नंबर (शहरी कोड के सहित) डाक का पूरा पता /ई-मेल के साथ :



(च) मुख्य कार्यालय का पिन कोड/दूरभाष/फैक्स नंबर (शहरी कोड के सहित) डाक का पूरा पता / ई-मेल (यदि ऊपर दिए गए पते से अलग हो तो)

_		,		_				 	 										
1	1		i	i	l	i					[
L	į	ł		L	l		l i	!		i	·	1							1
	 	-	$\overline{}$					 _	 				_						
	ì				}		i l				-								i
—								 		L	l	L			L		١.,		i i
	1				l	ļ	l							-			_		$\overline{}$
l .	[i		i	[l									1		1 1	1
					<u> </u>	h		 	 								l !	1 I	<i>i</i>

											****			_							: 1
										1	1			l .			Ι.				
1	1	1	ı	ı	l	1	ı			1	1			l .				ł 1			
	1	l .	l	1		1	ı		l .	1	<u> </u>				-						
	1			-						, 	Ţ	1									
F		I		1	l .	l	1		ļ		i	l I					l				
Ł		l	l		l.	i .	1		1	I	ĺ	•									
1		l		l			_		⊢ −	+		-					l	!		1 1	. t
	_				1"	1	Ł	4	l	I	1	i .		•				1 1	. '		. 1
	1	ı			ı	ı		1	l	1	1	l		1	1		1	l .I			
	1	ì	l		1	ı	1			<u> </u>	I										
					1		 -								l		1		1		
	1	1	ŧ			1	1			1	1	l	l		l	l .	i .				i I
1	1	1		1	I	1	ı	t	i .	I	1	•	I	L	L	L	L	1	L		
			!	1		<u> </u>		 -	<u> </u>												

(छ)	कारबार	परिसर की निश्चित सीमाएं (विवरण-भू राजस्व अभिलेख के अनुरूप होना चाहिए)
(1)	उत्तर	·
(2)	दक्षिण	·
(3)	पूर्व	:
(4)	पश्चिम	•

(ज) कारबार परिसर जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उससे संबंधित आवेदक के संपत्ति धारण अधिकार (कृपया उचित डिब्बे में चिन्ह लगाएं) :

आवदक क समात वारंग	जावपार (कृतिया जामरा राज्य र	
रवामित्व	पट्टा/भाटक	
यदि स्वामित्व है तो	बंधक	j j
	आडमान	
कृपया बंधक/आडमान के ब्यौरे को		
विनिर्दिष्ट करें		

- (झ) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति और प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पता
- (1) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति

नाम	
पदनाम	
पता 🕟 🏸	
संपर्क दूरभाष	
ई-मेल आईडी	हां/नहीं
दोषसिद्ध/लंबित मामले (यदि हां तो अलग कागज में	हा/पहा
उसका ब्यौरा)	
हस्ताक्षर का नमूना	
सरकारी संगठन/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए	
पहचान पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे	

टिप्पण : (1) प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्त ब्यौरा एक अलग कागज में दिया जाए । (2) सभी व्यक्तियों से संबंधित प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न किया जाए ।

भाग-3

(क)	सरकारी	अभिकरण/विभाग	से	अभिप्राप्त	कारबारी	संव्यवहार	संस्था
V ' /	,		• 1		44/41/1	NOWINE	T1 (90)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या	तक वैद्यता
केन्द्रीय विक्रय कर संख्या	
राज्य विक्रय कर संख्या	
विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
सीमा शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या	
महानिदेशालय विदेश व्यापार आयात निर्यात कोड	
संख्या	
कंपनी रजिस्ट्रार सीआईएन संख्या	
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के	
अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

मैंघोषणा करता/करती	गोषणा हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियां की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं ।
स्थान : तारीख :	
संलग्नकों की सूची :	(आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)
(1)	

टिप्पण :

(4)..... (5)..... (6)....

- (1) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे ।
- (2) इस आवेदन को जमा करते समय जो जानकारी उपलब्ध नहीं है वो रजिस्ट्रीकरण जारी होने के पश्चात् भी, जब कभी उपलब्ध हो, प्रदान की जाएगी।

प्ररूप-ग [खंड-4 का उप-खंड (5) देखें] अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण का रजिस्ट्रीकरण

खंड	4 के उपखंड	(1) के (अधीन जारी	किया गया	रजिस्ट्रीकरण	संख्या	·	
मास	:			नियंत्रित	पदार्थ का नाम	· :	•••••	

	भेजा गया है (रजिस्ट्रीकरण संख्या,
1 1 1 1 1	त का नाम और पता और परिसर का त दिया जाएगा ।
1 2 3 4 5	6

कारखाने से बाहर भेजा गया कुल परिमाण	उठाई घराई में हुई हानि	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आधक्षर		
7	8	9	10		

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित क्रिया जाएगा ।
 - (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आघार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखों को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रविष्टि के पश्चात् अपने आद्यक्षर बनाएगा रिजस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालू क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखा जाएगा ।

प्ररुप-घ [खंड-4 का उप-खंड (5) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के उपभोग, विक्रय, आयात या निर्यात का रजिस्ट्रीकरण

खंड 4	4 के	उपखंड (1)	के अधीन	ंजारी किया	गया र	जिस्ट्रीक	रण सं	ख्या	:	
मास	:			निर	यंत्रित प	दार्थ का	नाम	: .,,,	•••••	

	तारीख	दिन के प्रारंभ पर हाथ में परिमाण	विनिर्माण पदार्थ का	प्राप्त/आय	त पदार्थ के परिमाण का ब्यौरे	
			परिमाण	परिमाण	जिससे प्राप्त किया है (व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता दिया जाएगा)	
	1	2	3	4	5	6
L						

η	पदार्थ के वितरण/विक्रय/निर्यात/उपभोग के परिमाण का ब्यौरा								
	क्रम सं0	परिमाण	व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता ओर परिसर का स्थान भी दिया जाएगा।	/जारी करने की		उपमोग का प्रयोजन			
	7	8	9	10	11	12			

उठाई-धराई में हुई हानि (यदि कोई)	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आधक्षर
13	14	15

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा !
- (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखो को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पश्चात् अपने आद्यक्षर बनाएगा रिजस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालु क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रिजस्टर रखा जाएगा ।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रिजस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख को उपदर्शित किया जाएगा
- (5) जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-ङ ्तं [खंड-4 का उप-खंड (6) देखें] अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण की तिमाही विवरणी

तिमाही	जो	.को	समाप्त	हो	रही	휽	के	ਜਿए	विवरणी
	*************************************		** 11 11		101		7.		1371

- 1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 2. विनिर्माणकर्ता का नाम
- पता
- 4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
- तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
- विनिर्माण और विक्रय का ब्यौरा

	विनिर्माण		विक्रय	
तारीख	परिमाण	तारीख	जिसे बेचा गया है (व्यक्ति की परेषण नोट सं0 रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता और परिसर का स्थान	परिमाण
কুল	योग		कुल	योग

- 7. तिमाही के अंत में अतिशेष
- 8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं
- 9. यदि विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल नहीं की गई है, तो विवरणी को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माने के संदाय के ब्यौरों विनिर्दिष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर	:
नाम :	
पदनाम :	

तारीख.	 	 													
,	 	 	-	 -	-	-	 -	-	-	-	-	-	-	•	ľ

टिप्पण:

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी ।
- (3) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरों के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाएगी।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रिजस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त झरा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी ।

प्ररुप-च

[खंड-4 का उप-खंड (6) देखें]

नियंत्रित पदार्थ की प्राप्ति, आयात, विक्रय, उपभोग या निर्यात की तिमाही विवरणी

तिमाही जो...... को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

- 1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 2. विक्रयकर्ता, वितरणकर्ता, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता या उपभोक्ता का नाम
- पता
- 4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
- तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
- परिमाण प्राप्ति और विक्रय, उपभोग या निर्यात का ब्यौरा

		प्राप्ति/आयात	·	
तारीख	जिसे भेजा गया है (व्यक्ति का नाम और पता)	परेषण नोट संख्या	बेची हुई/उपमोग की गई/निर्यातित परिमाण	कुल योग
				

	विक्रय, उएमोग या निय	र्गत
तारीख	जिसे भेजा गया है परेषण नोट संख्या (व्यक्ति का नाम और पता)	बेची हुई/उपमोग की कुल योग गई/निर्यातित परिमाण

- 7. तिमाही के अंत में अतिशेष
- 8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर :

नाम

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण:

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी !
- (3) जो लागू न हो उसे काट दें
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी।
- (5) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरों के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जारी है।

प्ररुप-छ [खंड-७ का उप-खंड (१) देखें]

परेषण नोट

(नियंत्रित पदार्थ के परेषण के साथ भेजने के लिए)

क्रम सं0 1,

परेषण को प्रेषित करने की तारीख ओर समय

- ं खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई परेषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 2. परेषणकर्ता का नाम और पता :
- 3. परेषिती का नाम और पता :
- खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी परेषिती की रिजस्ट्रीकरण संख्या :
- परेषण का विवरण और परिमाण

नियंत्रित पदार्थ की विशिष्टियां	पैकेज की संख्या	परिमाण (कि.ग्रा.में)
		सकल भार शुद्ध मार

- 6. परिवहन का तरीका (परिवाहक, गाड़ी की रजिस्ट्रीकरण संख्या, आर.आर./एल.आर, यदि परिवहन रेलवे या माल परिवहन है,की विशिष्टियां, यदि कोई हो)
- टेम्पर-प्रूफ सीलों की कुल संख्या जो कि मोटर सिहत टेंकर/अन्य पैकेजों पर लगी है और उनके प्रत्येक विवरण

परेषणकर्ता के तारीख के साथ हस्ताक्षर (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

परेषिती द्वारा प्राप्त करने की तारीख और समय और उसकी टिप्पणियां

परेषिती के हस्ताक्षर (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

टिप्पण:

- (1) परेषणं नोट को वार्षिक आधार पर क्रमबद्ध संख्यांक दिया जाएगा ।
- (2) परेषणकर्ता को परेषण पुस्तिका में अंतर्विष्ट पृष्ठों के संख्या को दर्शित करते हुए परेषण टिप्पण अंतर्विष्ट करने वाली प्रत्येक पुस्तक के कवर पृष्ठ पर एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करना चाहिए ।
- (3) परेषण नोट अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक जो उपयोग हुई हो या वर्तमान में उपयोग हो रही है, प्राधिकृत अधिकारी के पूछने पर प्रस्तुत की जाएगी ।

पर	षणकर्ता के क्षेत्र से बाहर	के परेषिती को	नियंत्रित पदार्थ के	परिवदन की	वियासी किस्
तिमाही	जोको	समाप्त हो रही	है, के लिए विवरण	1	ारामाहा ।१५।८

- खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परेषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या 1.
- 2. परेषणकर्ता का नाम
- 3. पता
- नियंत्रित पदार्थ का नाम : 4.
- क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरों के क्षेत्र की अधिकारिता को भेजें गए परेषणों के 5. ब्यौरे जिसे रिपोर्ट भेजी जाती है।

क्रम सं0	जिस तारीख को मेजा गया	जिसे मेजा गया है (खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई रजिस्ट्रीकरण संख्या)	परेषण नोट सं0	परिवहन का तारीका

हस्ताक्षर:

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में :

पदनाम:

तारीख				.,				 				

टिप्पण :

- परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित करे (4)
- प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी (2)

[खंड-१ का उप-खंड (1) देखें]

अनुमनी-क में नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए आवेदन

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परेषणकर्ता का रिजस्ट्रीकरण संख्यांक 2. आवेदक का नाम और पता 3. नियंत्रित पदार्थ का नाम 4. नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है 5. पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या 6. नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो 7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9. क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रिजस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
2. आवेदक का नाम और पता 3. नियंत्रित पदार्थ का नाम 4. नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है 5. पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या 6. नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो 7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रिजस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
3. नियंत्रित पदार्थ का नाम 4. नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है 5. पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या 6. नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो 7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रिजस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
4. नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है 5. पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या 6. नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो 7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रिजस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
हो तो 7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
7. नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है 8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9. क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रिजस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
8. नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
स्थान 9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
9 क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
9. क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररुप 2-3 में
्र ८०० → → -िन्स ने क्यांग्य एउट की पनि संख्यान
दर्शाया गया है ? यदि हां तो रिजस्टर के सुसंगत पृष्ठ की प्रति संलग्न
करे
10. क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण उस विवरणी में दर्शाया है जिसे
फाइल किया है ? यदि हां तो फाइल की गई पिछली विवरणी की
प्रति संलग्न करे ।

हस्ताक्षर		
नाम :		

पदनाम :

तारीख	*
स्थान :	
टिप्पण	:

परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा । अनुसूची-क के प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए पृथक आवेदन भेजा जाएगा । यह आवेदन स्वापक नियंत्रण ब्यूरों के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजा जाना है । (1) (2)

(3)

प्ररुप-ञ [खंड-10 का उप-खंड (2) देखें] अनुसूची-ख के नियंत्रित पदार्थ के निर्यात के लिए आवेदन पत्र

1. निर्यातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फैक्स संख्या)	
ा राज्या (मार् नता, पूर्तान आर प्रयस संख्या)	2. एनओसी संख्या
	जारी करने की तारीख
ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या :	जारी करने का स्थान
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता	-तक वैद्य
प्राधिकारी	(स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए)
4. आयातकर्ता (नाम और पता)	 जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फेसीमाईल
	संख्या) :
	भारत के स्वापक आयुक्त,
; 	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय
	19, मॉल रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत
	दूरमाष सं0 : 91-751-2368121 और 2368996/2368997
	फैक्स सं0 : 91-751-2368111/2368577
अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	वेबसाइट :http://cbn.nic.in,
विद्यास्य पा राजस्त्रावस्य सख्या	http://cbnonline.gov.in
	ई-मेल :narcom@sanchamet.in,
	narcommr@cbn.nic.in
अन्य आपरेटर/अभिकर्ता (नाम और पता)	7क. आयात प्रमाणपत्र/एनओसी सं0
	7ख. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता)
	दूरभाष सं0 :
	फैक्स संख्यांक :
 अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में) (नाम और पता) 	9. भारत से निकासी का 10.परिवहन का तरीका
	स्थान
Ţ	11. आयातक देश में प्रवेश 12. मार्ग
	का स्थान

13. निर्यात किए पिरमा जाने वाले पदार्थ का पूरा नाम	ा '	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. र संख्या	एचएस	15.सीएएस संख्या	16.नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)						
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन का भ प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : कुल लागत :	₹ 0₹	यूएस १ यूएस १	S में S में			17. मिश्रण का % 18. बीजक संख्या

निर्यातकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली पृष्ठमूमि की जानकारी				
(नीचे दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका आशय इस आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही हेंतु				
केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है । पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर एनओसी विलंब से जारी हो सकता है) -				
19. क्या निर्यात पुनःनिर्यात के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें	हां/नहीं			
1				
20. क्या आपकी कंपनी रसायनों के निर्यात के लिए पूर्व से ही केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा	हां/नहीं			
प्राधिकृत है ? यदि हां तो पिछले 3 निर्यातों की तारीख और निर्देश प्रस्तुत करे ।				
(1)				
(2)				
(3)				
21. क्या परेषिती इस रसायन के लिए नया उपभोक्ता है ? यदि हां तो उपभोक्ता के कारबार की	हा/नह।			
प्रकृति क्या है ?				
	!			
रसायन किस उपयोग में लाया जाएगा ?				
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा	हां/नहीं			
दिया गया था तो कृपया उसका नाम और पता बताएं :				
	·			
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ?	ŀ			
ख) संदाय पाने वाले का नाम और पता				
ग) संदाय का परिहार करने वाले बैंक का नाम और पता				
घ) संदाय प्राप्त करने वाले बैंक का नाम और पता				
24. कृपया परेषण की पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए उपभोक्ता के निर्देशों के ब्यौरे दीजिए :	हां/नहीं			
	:			
25. क्या परेषण का गंतव्य निश्चित है, या अभिवहन होगा या मुक्त व्यापार जोन, मुक्त पत्तन या	हां/नहीं			
बंधित मंडागार है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करे :				
	हां/नहीं			
26. क्या आयातक देश के सक्षम प्राधिकारियों ने आयात को प्राधिकृत कर दिया है ?	हा/नहा			
कृपया साक्ष्य के लिए आयात प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल				
प्रति संलग्न करें ।	हां/नहीं			
27. क्या आप विनिर्माता निर्यातकर्ता हैं ? यदि हां तो आप कच्चा माल/तैयार उत्पाद कहां से	हा/गहा			
उपाप्त करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत कच्चे				
माल के प्रदायकर्ता के ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ?	<u> </u>			
28. क्या आप व्यापारी निर्यातकर्ता है ? यदि हां तो आप नियंत्रित पदार्थों को कहां से उपाप्त	हां/नहीं			
करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत । नियंत्रित				
पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ।				
29. आवेदक द्वारा घोषणा :				

मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य है ।	
हरताक्षर :कंपनी/फर्म में स्थान :	
नाम :(आवेदक) मुहर/सील	
प्रतिनिधित्व :	
तारीख :	

आवेदन के साथ प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो उसका इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रजिस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) प्रस्तावित निर्यात के लिए क्रेता/अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्रय आर्डर ;
- (iii) आयातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल आयात प्रमाणपत्र (जहां लागू हों)
- (iv) विनिर्माता निर्यातकर्ता के होने की दशा में, वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति के साथ राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उत्पादों की सूची, यदि निर्यात किए जाने के लिए आशयित नियंत्रित पदार्थ ओषधि के प्रवर्ग में आता है।
- (v) निर्यातकर्ता के व्यापारी होने की दशा में, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ओषधियों के विक्रय के लिए जारी, बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति । साथ ही नियंत्रित पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ।
- (vi) आयातक/अंतिम परेषिती द्वारा आशयित अंतिम उपयोग की घोषणा ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार निर्यात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार और केन्द्रीय उतपाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरा के क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामिश्वों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण सं0, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं0 और कंपनी की पैन सं0, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।

- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का नाम ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।
- (ज) कंपनी की रुपरेखा ।
- (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी/भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

प्ररुप-ट [खंड-11 का उप-खंड (2) देखें]

अनुसूची-ग के नियंत्रित पदार्थ के आयात के लिए आवेदन पत्र

 आयातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फैक्स संख्या) 	2. एनओसी संख्या
	जारी करने की तारीख
ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या :	जारी करने का स्थान
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता प्राधिकारी	तक वैद्य
	(स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए)
,	3. प्रेषित करने की अपेक्षित तारीख
	·
4. आयातकर्ता (नाम और पता)	 जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फेसीमाईल संख्या) :
The state of the s	भारत के स्वापक आयुक्त,
	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय
	19, मॉल रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत
	•
	दूरभाष सं0 : 91-751-2368121 और 22368996/2368997
	फैक्स सं0 : 91-751-2368111/2368577
·	वेबसाइट :http://cbn.nic.in, <u>http://cbnonline.gov.in</u>
was the market market	ई-मेल :narcom@sanchamet.in,
अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	narcommr@cbn.nic.in
 अन्य आपरेटर/अमिकर्ता (नाम और पता) 	7क, ओषधि नियंत्रक की सिफारिश :
	7ख, जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता)
,	दूरभाष सं0 :
	फैक्स संख्यांक :
 अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में) (नाम और पता) 	9. भारत में प्रवेश का स्थान 10.परिवहन का तरीका
	11. निर्यातक देश से प्रवेश का 12. मार्ग
	स्थान

13. आयात किए जाने वाले पदार्थ का पूरा नाम	परिमाण	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. एचएस संख्या	15.सीएएस संख्या	16.नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)					
					17. મিশ্रণ কা %
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन व प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : कुल लागत :	. €0	में यूएस १ में यूएस १			18. बीजक संख्या

आयातकों द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी			
े (नीच दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका शासा हम अर्थना कर			
केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है । पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर प्राधिकार विलंब से जारी हो सकत			
19. क्या आयात भारत में निर्यात/पुन विक्रय के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया	गरा हा सकता है)		
ब्यौरा प्रस्तुत दीजिए ।	हा/नहीं		
20. क्या आपकी कंपनी इन रसायनों का पूर्व में आयात कर चुकी है ? यदि हां तो कृपया पिछले	हां/नहीं		
3 सालों के आयातित परेषण के अनुसार निर्देश तारीख और लागत प्रस्तुत करें।	81/461		
(1)			
(2)			
(3)			
21 रसायन के आयात का प्रयोजन । क्या आप विनिर्माता या व्यापारी हैं, कृपया उपदर्शित करें ।	हां/नहीं		
(क) यदि व्यापारा है ती, अततः परेषण किसके पास जाएगा । अंतिम उपयोक्ता का नाम और	GI/TGI		
्रपता, विक्रय कामत आर उसके द्वारा क्रय करने का प्रयोजन ।			
(ख) यदि विनिर्माता हैं तो आयातित रसायन से कितना तैयार उत्पाद अभिप्राप्त होगा (आगत-निर्गत			
अनुपात) ? तैयार उत्पाद की विक्रय कीमत क्या होगी ?			
इन रसायनों का क्या उपयोग किया जाएगा ?			
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा	हां/नहीं		
दिया गया था तो कृपया उसका नाम पता और उसे संदत्त प्रतिफल की मात्रा बताएं :	e., iei		
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ?			
24. क्या आपने इस रसायन को घरेलू बाजार से उपाप्त किया है (एक वर्ष के भीतर) यदि हां तो	हां/नहीं		
उसके प्रदायकर्ता का नाम और पता सहित ब्यौरा दीजिए (मात्रा के अनुसार और क्रय की कीमत)	61, 161		
25. पिछले तीन सालों के दौरान रसायन उपारित और उपभोग/पुनःविक्रय/प्रसंस्करण हानि (यदि	हां/नहीं		
है) का ब्यौरा दें :	61/161		
26. क्या राज्य/देश के ओषधि नियंत्रण प्राधिकारियों से प्रस्तावित आयात के लिए विशिष्ट	नं /चर्चे		
अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त है ?	हां/नहीं		
साक्ष्य के रूप में ओषधि नियंत्रक द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल प्रति			
संलग्न करें।			
27. आवेदक द्वारा घोषणा :			
मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य है।			
हस्ताक्षर :			
नाम :(आवेदक) मुहर/सील			
प्रतिनिधित्व :			
तारीख :			

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो, इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रिजस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) विदेशी विक्रेता द्वारा करार/संविदा/क्रय आर्डर की पुष्टि की प्रति ।
- (iii) ओषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी की गई परीक्षण, प्रयोग और विश्लेषण के प्रयोजन के लिए ओषधि के आयात की अनुझप्ति (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 11), यदि आयात परीक्षण, और विश्लेषण के लिए किया जा रहा है।
- (iv) ओषधि महानियंत्रक (मारत) द्वारा जारी की गई ओषधि के आयात (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 10), यदि आयात व्यापार करने या विनिर्माण सूत्रीकरण के उपयोग के लिए है ।
- (v) पूर्व में आयातित नियंत्रित पदार्थों से संबंधित निबटान ब्यौरा ।
- (vi) विनिर्माता के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादों की सूची के साथ वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति ।
- (vii) व्यापारी के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वांरा जारी ओषधि के विक्रय और वितरण के लिए बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार और केन्द्रीय उतपाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों
 (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे ।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामियों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रिजस्ट्रीकरण सं0, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिजस्ट्रीकरण सं0 और कंपनी की पैन सं0, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।
- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।

- (ज) कंपनी की रुपरेखा।
- (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

[फा. सं. एन/11012/3/2010-एनसी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In this Order, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
 - (b) "Appendix" means the Appendix appended to this Order;
 - (c) "Form" means a form annexed to this Order;
 - (d) "Schedule" means the Schedules annexed to this Order.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning as defined in the Act.
- 3. Power to include Controlled Substance in Schedules.- The Central Government may, by notification in the Official Gazette, include any controlled substance in one or more Schedules.
- 4. Prohibition of manufacture, trade and commerce, possession and consumption of controlled substance in 'Schedule-A'.— (1) No person shall manufacture, distribute, sell, purchase, possess, store, or consume any controlled substance included in Schedule-A without a unique registration number in Form-A issued by the Zonal Director of Narcotics Control Bureau:

Provided that the requirement of registration under this clause shall be complied within a period of 180 days of the coming into force of this Order:

Provided further that the Government or autonomous institutions, Schools or Colleges or Universities recognised by the Government, registered Scientific Societies and Hospitals using any controlled substance in Schedule-A for educational, scientific and analytical purposes are exempted from the registration.

(2) Every application for registration under sub-clause (1) shall be made in Form-B to the Zonal Director of Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.

- (3) The Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall issue a unique registration number in Form-A or deny the registration within thirty working days from the date of receipt of an application in Form-B.
- (4) In case the registration number is not issued within the stipulated time period or denied, the Zonal Director of Narcotics Control Bureau or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.
- (5) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall maintain daily accounts in Form-C or Form-D, as the case may be and the records of the daily accounts shall be preserved for a minimum period of five years from the date of last entry.
- (6) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall file quarterly return in Form-E or Form-F, as the case may be, to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.
- (7) The return of every quarter shall be filed before the last day of the month following that quarter.
- (8) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall immediately report regarding any loss or disappearance of the controlled substance in Schedule-A to the concerned Zonal Director of Narcotics Control Bureau within whose area of jurisdiction such loss or disappearance occurred and a copy of the report shall also be endorsed to the Director General, Narcotics Control Bureau, New Delhi.

Explanation 1.- For the purpose of this clause, the area of jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.

Explanation 2.- For the purpose of this Clause, the expression "quarters" shall be January to March, April to June, July to September and October to December of every year.

- 5. Surrender of registration.- A holder of a registration number issued under sub-clause (1) of clause 4 may, if he so desires, surrender his registration by giving notice in writing to the issuing authority and obtaining acknowledgement therefor.
- 6. Disposal of stocks on surrender of registration.— The stocks of controlled substance in Schedule-A as may be in the possession of a holder of a registration number issued under sub-clause (1) of clause 4, on the surrender of his registration, shall be disposed of in such manner as may be specified by the issuing authority in this behalf.
- 7. Transport of controlled substance in Schedule-A.— (1) No consignment of controlled substance in Schedule-A shall be moved from one place to another place, within India, except when it is accompanied by a consignment Note in Form-G.
- (2) The consignment Note shall be prepared in triplicate and the original and duplicate copies of the consignment Note shall be sent along with the consignment to the consignee, who shall return the duplicate copy to the consignor for retention after endorsing on the original and duplicate copies the particulars of quantity received by him.

1262 9/13-8

- (3) In case of non-receipt of duplicate copy by the consignor, duly endorsed by the consignee acknowledging the receipt of the consignment of controlled substance, the consignor shall report loss or disappearance of the consignment in the manner provided in sub-clause (8) of clause 4 within forty-five days from the date of dispatch of the consignment.
- (4) In the case of any consignment of controlled substance in Schedule-A is imported into India, such consignment from the port of entry to any warehouse or factory or business establishment or premises of the importer or consumer, as the case may be, shall be accompanied by a Bill of Entry.
- (5) The consignment Note or the Bill of Entry, as the case may be, shall be preserved for a minimum period of five years by the consignor and the consignee or importer, as the case may be.
- (6) No transporter shall carry any consignment of controlled substance in Schedule-A without a consignment Note or Bill of Entry.
- (7) The transporter shall produce the consignment Note or Bill of Entry, as the case may be, when required by an officer empowered under section 42 of the Act.
- (8) (a) Whenever controlled substance in Schedule-A are transported by motorised tankers or otherwise by packages, all the inlets and outlets of such tankers or packages, as the case may be, shall be sealed with tamper-proof seals each of which shall have identifiable description and such seal shall be affixed at the premises of the consignor and removed at the premises of the consignee.
- (b) The description of tamper-proof seal affixed on such tankers or packages shall be entered on the consignment Note or Bill of Entry of each consignment.
- (c) No person shall use or possess any tamper-proof seal which has identifiable description on it identical to another tamper-proof seal.
- (9) Whenever a consignment of controlled substance in Schedule-A is transported from the area which comes within the jurisdiction of a Zonal Director of the Narcotics Control Bureau to an area which comes within the jurisdiction of another Zonal Director of the Narcotics Control Bureau, the consignor shall send a quarterly report to the latter Zonal Director in Form-H.
- Explanation.1.- For the purpose of this clause, the expression "Bill of Entry" shall have the same meaning as defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
- Explanation 2.- For the purpose of this clause, the jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.
- 8. Selling of controlled substance in Schedule-A.— No person shall sell a controlled substance in Schedule-A to a buyer who does not possess a valid registration number issued under sub-clause (1) of clause 4:

Provided that a controlled substance may be sold to a buyer specified in second proviso to sub-clause (1) of clause 4 without a registration number.

- 9. Destruction of controlled substance in Schedule-A.— (1) Any person intending to destroy a controlled substance in Schedule-A shall apply in Form-I to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.
- (2) The Zonal Director of the Narcotics Control Bureau shall, within a period of thirty days of the receipt of an application in Form-I, appoint a Committee comprising a Gazetted Officer of the Narcotics Control Bureau, Superintendent of Central Excise of the concerned range and an authorised representative of the applicant for supervising the destruction of controlled substance in Schedule-A and any such destruction shall be carried out within a period of thirty days from the appointment of the Committee.

Explanation.- For the purpose of this clause, the jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.

- 10. Export of controlled substance in Schedule-B. (1) No person shall export any controlled substance in Schedule-B except in accordance with the conditions of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner.
- (2) Anyone who intends to export a controlled substance in Schedule-B shall apply to the Narcotics Commissioner in Form-J for a No Objection Certificate.
- (3) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the No Objection Certificate within a period of twenty one working days from the date of receipt of application and in case the No Objection Certificate is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.
- (4) The No Objection Certificate for export issued by Narcotics Commissioner shall be valid for a single consignment only.
- (5) Every exporter shall submit the details and documents relating to the export, such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents relating to the export of the controlled substance in Schedule-B which shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity, name and address of the consignee, exporter and the importer, to the Narcotics Commissioner within a period of seven days of export.
- 11. Import of controlled substance in Schedule-C.— (1) No person shall import any controlled substance in Schedule-C except in accordance with the conditions of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner.
- (2) Anyone who intends to import a controlled substance included in Schedule-C shall apply to the Narcotics Commissioner in Form-K for a No Objection Certificate.
- (3) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the No Objection Certificate within twenty one working days from the date of receipt of application and in case the No Objection Certificate is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regards shall inform the applicant the reasons thereof.

- (4) The No Objection Certificate for import issued by the Narcotics Commissioner shall be valid for a single consignment only.
- (5) Every importer shall submit the details and documents relating to the import, such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents relating to the import of the controlled substance in Schedule-C which shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity and the name and address of the consignee, exporter and the importer, to the Narcotics Commissioner within a period of seven days of import.
- 12. Labeling of consignment for export or import.— (1) Every container or vessel containing a controlled substance in a consignment for export or in a consignment which is imported shall be labeled prominently giving details of the name and quantity of the controlled substance, name and address of the exporter and importer and the consignee if any.
- (2) The documents relating to the import or export of the controlled substance such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity and the name and address of the consignee, exporter and the importer and the documents shall be preserved for a minimum period of five years.
- 13. Repeal and savings.- (1) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 1993 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the order repealed by sub-clause (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this order, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this order.

SCHEDULE

[See clause 2 (d)]

SCHEDULE -A (Schedule-A substances are those controlled substance whose manufacture, distribution, sale, purchase, possession, storage and consumption is subject to controls as specified in this Order.)

- 1. Acetic anhydride
- 2. N-Acetylanthranilic acid
- 3. Anthranilic acid
- 4. Ephedrine and its salts
- 5. Pseudoephedrine and its salts

SCHEDULE-B (Schedule-B substances are those controlled substance whose export from India is subject to controls as specified in this Order.)

- 1. Acetic anhydride
- 2. N- Acetylanthranilic acid
- 3. Anthranilic acid
- 4. Ephedrine, its salts and preparations thereof
- 5. Ergometrine and its salts
- 6. Ergotamine and its salts
- 7. Isosafrole
- 8. Lysergic acid and its salts
- 9. 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone
- 10. Methyl ethyl ketone
- 11. Norephedrine (Phenylpropanolamine), its salts and preparations thereof
- 12. 1-pheny1-2-propanone
- 13. Phenylacetic acid and its salts
- 14. Piperonal
- 15. Potassium permanganate
- 16. Pseudoephedrine, its salts and preparations thereof
- 17. Safrole and any essential oil containing 4% or more safrole

SCHEDULE -C (Schedule-C substances are those controlled substance whose import into India is subject to controls as specified in this Order.)

- 1. Acetic anhydride
- 2. N-Acetylanthranilic acid
- 3. Anthranilic acid
- 4. Ephedrine, its salts and preparations thereof
- 5. Ergometrine and its salts
- 6. Ergotamine and its salts
- 7. Isosafrole
- 8. Lysergic acid and its salts
- 9. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone
- 10. Methyl ethyl ketone
- 11. Norephedrine (Phenylpropanolamine), its salts and preparations thereof
- 12. 1-phenyl-2-propanone
- 13. Phenylacetic acid and its salts
- 14. Piperonal
- 15. Potassium permanganate
- 16. Pseudoephedrine, its salts and preparations thereof
- 17. Safrole and any essential oil containing 4% or more safrole

12626013-9

APPENDIX

Area of jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau

SI. No.	Area	Area jurisdictional Zonal Director of
		Narcotics Control Bureau
. ,	75.11	
1.	Delhi, National Capital Region	,
	(NCR) and Haryana.	Narcotics Control Bureau,
		Delhi Zonal Unit,
		West Block No. 1, Wing No. 7,
	i	2 nd Floor, R.K. Puram, New Delhi – 110066.
		Fax No. 011-26181449
2.	State of Rajasthan (excluding the	Zonal Director,
	areas of the State included in	Narcotics Control Bureau,
	National Capital Region)	Jodhpur Zonal Unit,
		Sector - 18E, Chaupasini Housing Board,
		Jodhpur, Rajasthan.
		Fax No. 0291-2510092
3.	States of Uttar Pradesh (excluding	Zonal Director.
	the areas of the State included in	Narcotics Control Bureau,
	National Capital Region) and	
	Uttrakhand.	Mahanagar Lucknow, Uttar Pradesh.
		Fax No. 0522-2339411
4.	States of West Bengal, Odisha,	Zonal Director,
	Sikkim and Union territory of	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Andaman and Nicobar islands.	Eastern Zonal Unit, Kolkata,
	•	4/2 Karaya Road, 3 rd Floor,
		Kolkata, West Bengal – 700017.
		Fax No. 033-22891957
5.	States of Maharashtra and Goa.	Zonal Director.
		Narcotics Control Bureau.
		Mumbai Zonal Unit,
		3 rd Floor, Exchange Building, Sprott Road,
		Ballard Estate,
		Mumbai, Maharashtra – 400001.
6.	States of Kerala, Tamil Nadu and the	Zonal Director,
	Union territories of Puducherry and	Narcotics Control Bureau,
	Lakshadweep.	Chennai Zonal Unit,
	•	C-3A, Rajaji Bhawan,
-		Besant Nagar, Chennai, Tamil Nadu – 600090.
i		Fax No. 044-24910937
7.	States of Punjab, Himachal Pradesh	Zonal Director,
	and the Union territory of	Narcotics Control Bureau,
ļ	Chandigarh.	Chandigarh Zonal Unit,
		Electric Store Building,
		Near Chitkara Int. School,
		Sector -25(Wes), Chandigarh.
		Fax No. 0172-2780108
		1 4A 14U, U1/2-4/001U0

r		
8.	State of Jammu and Kashmir.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Jammu Zonal Unit,
		Chandan Vihar, H. No. 1, Lane-1,
		Lower Roop Nagar, Muthi Camp, Jammu,
		Jammu and Kashmir - 180005.
9.	State of Gujarat and the Union	Fax No. 00191-2598029
<i>'</i>	territories of Daman and Diu and	Zonal Director,
	Dadra and Nagar Haveli.	Narcotics Control Bureau,
	Dudia and Augus Havon.	Ahmedabad Zonal Unit, 2 nd & 3 rd Floor, Screen Building,
		Drive-in-Cinema, Drive-in-Road,
ŀ		Thaltej, Ahmedabad, Gujarat – 380 054.
		Fax No. 079-27497330
,		1 40, 079-27497530
10.	States of Madhya Pradesh and	Zonal Director,
	Chhattisgarh.	Narcotics Control Bureau,
		Indore Zonal Unit,
		19/C/A/SLICE-5, Scheme No. 78,
		"Aranya", P.OVijay Nagar,
		Indore, Madhya Pradesh – 452 010.
		Fax No. 0731-2557701.
11,	States of Bihar and Jharkhand.	Zonal Director,
		Narcotics Control Bureau,
1		Patna Zonal Unit,
,	:	67, Kautilya Nagar,
	1	Near VB College Patna-14, Bihar.
	·	Fax No. 0612-2296159.
12.	States of Assam, Arunachal Pradesh,	Zonal Director,
	Meghalaya, Mizoram, Nagaland,	Narcotics Control Bureau,
	Tripura and Manipur.	Guwahati Zonal Unit,
	·	House No. 25, S.K. Baruah Road,
	ļ	1st bye-lane, Dispur, Guwahati, Assam-781006.
		Fax No. 0361-2229375
ļ		
13.	States of Karnataka and Andhra	Zonal Director,
	Pradesh.	Narcotics Control Bureau,
		Bangalore Zonal Unit,
		7/1&2, Priyanka Vilas, Ramanna Garden
		Kattigenahalli, Baglur Main Road,
		Post – Air Force Station Yelahanka,
		Bangalore, Karnataka – 560063.
		Fax No. 080-28478316

FORM-A [See sub-clause (1) of clasue 4]

Registration for manufacture / distribution / sale / purchase / possession / storage / consumption of controlled substance in Schedule-A

		·			
Registra	ation No		•	Date of issue:	
	(Name and address	s)		_is hereby registere	ed to (strikeout
whicher	ver is not applicable)				(====================================
(3) Sa (5) Pa	lanufacture ale ossession onsumption		(4) Pur (6) Stor		
followir	ng controlled substanc	e in Schedule-A			
Sl. No.	Name of controlled	substance in Sc	Schedule-A Details of the premises		
as may Psychoti	be specified in the oropic Substances Act,	rder for the tim	e being in : 85).	d below and to such of force under the Narc	otic Drugs and
Official Seal			Nam	ature e in block letter	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
L		Condition	Desi s of registra	gnationation	,
4			-B		

- 1. This registration is not transferable.
- 2. This registration shall be kept on the approved premises and shall be produced at the request of an officer designated / authorised for the purpose by the authority issuing this registration.
- 3. No controlled substance in Schedule-A, other than the substance for which this registration has been issued, shall be manufactured in the respective premises mentioned herein.
- 4. The holder of this registration shall inform the authority issuing this registration in writing in the event of any change in the constitution of the person or the entity operating under the registration. Where any change in the constitution of the person or the entity takes place the current registration shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place, unless in the meantime, a fresh registration has been taken from the authority issuing this registration in the name of the person or the entity with the changed constitution.

Form-B [See sub-clause (2) of clasue 4]

Application for registration for manufacture / distribution / sale / purchase / possession / storage / consumption of controlled substance in Schedule-A.

	For Official Use only							
Reg	gistration No.			Date of Is	ssue			
Part	<u>- I</u>	···		. I		-1.		
(A)	Name of the cor applied for:	itrolled sub	stance and its	s salts in Sch	iedule-A fe	or whic	h regist	tration is
	1)							
	3) 4)							
•	5)							
(B)	Purpose for which	ch registrat	ion is applied	for (Please	put √ in a _l	ppropri	ate box) :
	(1) Manufactur	e		(2)	Distributi	ion		
	(3) Sale			(4)	Purchase			L
	(5) Possession			(6)	Storage			<u> </u>
	(7)Consumption	n		(8)	Others (P	lease sp	ecify)	
Part-	<u>II</u>							
(A)	Name of the App	olicant	:					
B)	Complete postal e-mail ID:	address wi	th PIN Code	/ Telephone	: / Fax Nu	mber (v	with cit	y code) /
								- -
							++-	
							+-	

1262 40/13-10

											· · · · · · ·								
(C) Details of Permanent Account Number (PAN) :							-		-										
	1) PA	N (If	issu	ed)		,				_		.							
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>												1	
	2) Nar	ne of	the	app	lican	t as	app	earii	ng in	PA	N_	:							
	L	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>													
	3) If P (Co	AN i									1)	: *	Yes (Y)/1	No (1	V)			
(D)	Constit	ution	of t	he b	usin	ess ((Plea	ase p	out √	in a	ppro	opria	te bo	x)					
	Propri	Proprietorship				Partnership													
	Regist			npan	ν	 -				• •				Con	nans	,			
	Trust					 -		1				ciety	icice	Con	рапу				
	Others	(Plea	ase s	speci	ifv)			\vdash			500	oloty							
	L	`			- (/		·	<u>'</u>		• • • • • •								•	
Note:	In the case of a partnership firm, details of partnership / in the case of a registered / unregistered Company, details of the Chairman / Managing Director / Director / Chief Executive Officer / in the case of Society / Trust, Details of the Chairman / President and Members / Trustee / in case of others, details of the key personnel engaged in the management of the business are to be provided in a separate sheet. Details should include name / contact details {complete postal address with PIN Code / Telephone / Fax Number (with city code) / e-mail ID} / copy of photo identity card issued by a Government Organisation / Election Commission / Details of conviction / pending cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.							hief dent the ould ne / oy a ling											
(E)	Complete postal address of business premises with PIN Code / Telephone / Fax Number (with city code) / e-mail ID:						Fax												
																		[
	<u> </u>						<u> </u>			Ĺ.		_							
		 						ļ. <u>.</u>	\perp			<u> </u>	_	ļ	<u></u>				
	 						╁	┥—	∔		\bot		1_		<u> </u>				
	<u> </u>						ļ	 	ļ	\bot		 	┿-		ļ <u>.</u>		<u> </u>		
	<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			Щ.		<u></u>					
(F)	Comple (with cit	te po	stal le) /	addi e-m	ress ail Il	of I D (i	Head f dif	l Of ferei	fice nt fro	with om t	PII hat į	N Co given	de / abo	Tele _i ve):	phon	e / I	ax l	Num	ber
		T	Γ-	Ι				i							T	 	1	Γ	····
		 	-									\dashv			+-	+		-	
	-	1	<u> </u>	-					 			-			+	+	+	-	
												+	+	-	+-	+-	+	 	
i								-						1-	+	+			\square
															-	1			

attached

<u> </u>				
Definite bot (Description	indaries (should (of the busin	ess premises to the land revenue reco	: rds)
I) North	:			
2) South				
3) East				
4) West	:			
Details of pr premises for	operty ho which re	olding rights gistration is	s of the applicant with re applied for (Please put	espect to the business √ in appropriate box
Ownership	 .	T	Lease / Rent	
If owned wi	hether	<u>. </u>	Mortgaged	
			Hypothecated	
Please speci mortgage /				
Person signature	rsons:	s Applicat io	the person signing this a	Application Form an
Name				
Designation				
Address				
Contact num	bers	·		
e-mail ID				
Conviction / and Psychoti should be giv Specimen sig	opic Sub zen in a s	stances Act	er the Narcotic Drugs t, 1985 (If yes, details et).	Yes (Y) / No (
		o identity	card issued by a	
Government	Organica	tion / Electi	ion Commission to be	

Note: (1) Above details in respect of all authorised persons shall be given in a separate sheet.

(2) Copy of the authorisation letter in respect of all persons shall be attached

Part-III

(A) Business transaction Numbers obtained from Government Agencies / Departments:

	Validity up to
Central excise registration number	
Central sales tax number	
State sales tax number	-
Sales tax registration number	
Customs registration number	
Directorate General of Foreign Trade's Import Export Code Number	
Registrar of Companies CIN Number	
Licence (s) issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940	
Others (please specify)	

DECLARATION

I,	hereby declares that the information given in this
Application Form is	true, correct and complete in every respect and that I am authorised to
sign on behalf of the	applicant.
Date:	
Place	(Signature of the applicant / authorised person with stamp)
List of enclosures:	
(1)	
(4)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	

- (1) Application Form should be signed on each page by the applicant / authorised person.
- (2) Any information not available at the time of submitting this Application Form shall be provided as and when available, even after the issue of registration.

FORM-C [See sub-clause (5) of clasue 4]

Register of manufacture of controlled substances in Schedule-A

Registration number issued under si	ub-clause (1) of clause 4:
Month:	Name of controlled substance:
	•

Date	Quantity in hand at the	Quantity of the substance manufactured	Details of quantity of controlled substance sent out of the factory						
	beginning of the day		Serial No.	Quantity sent	To Whom sent (Registration number, name and address of the person and location of the premises to be given)				
1	2	3	4	5	6				
				İ					

Total quantity sent out of the factory	Handling losses, if any	Quantity in hand at the close of the day	Initial of the authorised person
7	8	9	10

Note:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) This record shall be maintained on day-to-day basis and entries shall be made for each day the establishment opens for work irrespective of whether there is any transaction or not and entries shall be completed for each day before the close of the day and the person authorised to maintain the accounts shall put his initial after the entries. Each page of the register shall contain the running serial number.
- (3) If more than one controlled substance is dealt with, separate register shall be maintained for each of such substances.

1262 GI/13-11

FORM--D [See sub-clause (5) of clasue 4]

Register of consumption, sale, import or export of controlled substance in Schedule-A

Registration number issued under sub-clause (1) of clause 4:___

Month:		Nam	e of controlled	substance:	
Date:	Quantity in hand at the beginning of the day	Details Sl. No.	of quantity of the Quantity	From whom received (Registration number, name and address of the person to be	ed / imported Consignment Note/Bill of Entry No.
1	2	3	4	given) 5	6
		·- <u></u>	-		0 /

SI. No.	Quantity	ty of the substance distributed. To whom sold / sent (Registration number, name and address of the person and location of the premises to be given)	Consignment Note / Issue Slip No.	Consumed	Purpose for consumption
_7	8	9	10	11	12

Handling loss, if any	Quantity in hand at the close of day	Initial	of	the
		authoris	ed pers	on
13	14		15	
<u></u>				

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) This record shall be maintained on day-to-day basis and entries shall be made for each day the establishment opens for work irrespective of whether there is any transaction or not and entries shall be completed for each day before the close of the day and the person authorised to maintain the accounts shall put his initial after the entries. Each page of the register shall contain the running serial number.
- (3) If more than one controlled substance is dealt with, separate register shall be maintained for each of such substances.
- (4) In case of import / export, in place of registration number, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated.
- (5) Strike out whichever is not applicable.

FORM-E [See sub-clause (6) of clasue 4]

Quarterly return of manufacture of controlled substance in Schedule-A

Return for the quarter ending on							
1.	Registration number issued under sub-clause (1) of clause 4						
2.	Name of the manufacturer						
3.	Address						

- 4. Name of the controlled substance
- Opening balance of the controlled substance at the beginning of the quarter
- Details of manufacture and sale

	ifacture		Sale							
Date	Quantity	Date		Consignment Note No.	Quantity					
	Total		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tota						

- 7. Closing balance at the end of the quarter
- 8. Whether the return is filed within the due date: Yes / No
- 9. If the return is not filed within the due date, specify details of the fine paid for delay in submission of the return

Certified that the information given below is correct and the relevant records are available with me/us.

Signature:
Name:
Designation:

Date																					
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) The quantity should be indicated in kilograms.
- (2) For each controlled substance, separate return shall be sent.
- (3) This return is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.
- (4) In case of import / export, in place of registration number, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated.

FORM-F [See sub-clause (6) of clasue 4]

Quarterly return of receipt, import, sale, consumption or export of controlled substance

Return for the quarter ending on

- 1. Registration number issued under sub-clause(1) of clause 4
- 2. Name of the seller, distributor, exporter, importer or consumer
- 3. Address
- 4. Name of the controlled substance
- 5. Opening balance of the controlled substance at the beginning of the quarter
- 6. Details of quantity received and sold, consumed or exported

		Receipt / Import		
Date	Received / imported from whom (Name and address of the person)	Consignment Note No. / Bill of Entry No	Quantity received / imported	Total

Sale, Consumption or export								
Date	To whom sent (Name and address of the person)	Consignment Note No.	Quantity sold / consumed / exported	Total				

- 7. Closing balance at the end of the quarter
- 8. Whether the return is filed within the due date: Yes / No

Certified that the information given above is correct and the relevant records are available with me/us.

Signature:
Name:
Designation

Date

- (1) The quantity should be indicated in kilograms.
- (2) For each controlled substance, separate return shall be sent.
- (3) Strike out whichever is not applicable.
- (4) In case of import / export, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated under the column imported from whom / to whom sent.
- (5) This return is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

FORM-G [See sub-clause (1) of clasue 7]

Consignment Note

(To accompany a consignment of controlled substance)

	. Date and time of dispa	tch of the consign	ment
1.	Registration Number of the consignor	issued under sub-	clause (1) of clause 4:
2.	Name and address of the consignor:		. ,
3.	Name and address of the consignee:		
4.	Registration number of the consignee	issued under sub-c	lause (1) of clause 4:
5.	Description and quantity of the consig	mment :-	
	Particulars of Controlled Substance	No. of package	Quantity (in Kilogra
		(Gross Weight Net Weig
6	Made of transport (Particulars of the		
	Mode of transport (Particulars of the t R.R. / L. R. if the Transport is by Rail The total number of temper-proof sea	way or Goods Trar als affixed on n	sport, if any).
6. 7. 7.	R.R. / L. R. if the Transport is by Rail	way or Goods Trar als affixed on n Signatur	sport, if any).

Note:

- (1) The consignment Note should be serially numbered on annual basis.
- (2) The consignor should record a certificate on the cover page of each book containing consignment Notes indicating the number of pages contained in the consignment Note-Book.
- (3) The books containing consignment Notes used or currently under use shall be produced to the authorised officer whenever called upon.

1262 GI/13-12

FORM-H [See sub-clause (9) of clasue 7]

Qua cons	rterly repoi ignor	rt on transp	oort of controlled substance to a co	onsignee outside	the zone of a
Retu	rn for the qu	arter ending	g on		
1.	Registrati	ion Number	of the consignor issued under sub-c	lause (1) of clause	e 4:
2.,		the consigno			
3.	Address		:		
4.	Name of t	the controlle	ed substance :		
5.	Details of Control B	the consign ureau to wh	ments sent to the area of jurisdiction om the report is sent.	of the Zonal Dir	ector, Narcotics
SI. No.	Dated on which sent	Quantity	To whom sent (indicate registration number issued under sub-clause (1) of clause 4, name and address)	Consignment Note No.	Mode of transport
			:		
Dat				Name in bl D	Signature: ock letter: esignation:
Date.	*	••••	••••		
Note:					
(1) (2)	The quanti For each co	ty shall be in ontrolled sub	ndicated in kilograms ostance a separate return shall be sen	ıt.	

FORM-I [See sub-clause (1) of clasue 9]

Application for destruction of Controlled Substance in Schedule - A

1.	Registration Number issued and 1 1	
	Registration Number issued under sub-clause (1) of clause 4	
2.	Name and address of the applicant	
3.	Name of the controlled substance	
4.	Quantity of controlled substance to be destroyed	
5.	Type of packing and number of packages	
6.	Place of storage of the controlled substance, if different from Sr. No.2 above	
7.	Reasons why such destruction is required	
8.	Manner and place where the controlled substance is proposed to be destroyed.	
9.	Whether the quantity of controlled substance is appearing in Form 2 or 3 Register, if yes enclose copy of the relevant page of the register.	
10.	Whether the quantity of controlled substance is appearing in the returns filed, if yes enclose copy of the last return filed.	

Date:
Place:

Signature:

Designation

Name:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) For destruction of each controlled substance in Schedule-A, separate application shall be sent.
- (3) This application is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

FORM-J [See sub-clause (2) of clasue 10]

Application form for export of controlled substance in Schedule-B

			т								
1. Exporter (name, address, telephone a	2. NOC Number:										
İ	Date of issue:										
			Place of								
Builde 4 32			"Valid up								
Drug/ Trade Licence number:		(To be fill)	ed up by Central B	ureau of Nas	cotics)	<u> </u>					
3. Central Excise registration number ar	d issuing authority:		· .								
4.Importer (name and address)			5. Issuing	authority (name, ad	dress and tel	e-facsi	mile numbers):				
			Central B 19, The INDIA	Commissioner of ureau of Narcotic Mall, Morar, G	s, Ministry walior, M	adhya	Pradesh-474006				
Licence or registration number:			Fax No.: 91-751-2368111/2368577								
			Website: http://cbn.nic.in, https://cbnonline.gov.in Eimail. narcom@sancharnet.in, narcommr@cbn.nic.in								
6. Other operator/agent (name and addre	ss)		7a. Import	Certificate/ NOC N	0.						
				authority (name an							
			Telephone Fax numbe								
8. Ultimate Consignee (in case of re-sale) (name and address	s) :	9. Point of	exit from India:		l .	fode of port :				
			11. Point country:	of entry into	importing	12. R	Loute :				
13. Full name of substances to be exported:	Quantity		Weight/ olume per unit	14. HS number	15. CA numbe		16. Net weight of controlled substance: (In Kilograms)				
(1)											
····					<u>-</u>						
Number of packets/cartons:				<u></u>	F						
Weight/Volume of each packet/carton					[17. % of t	nixture	: :				
Cost per unit/kg	In Rs		In US\$	11							
Total cost	In Rs	<u></u>	In US \$.		18. Invoi	ce num	iber ·				
		_									

BACKGROUND INFORMATION TO BE SUBMITTED BY EXPORT (The questions below are information about transaction and are intended to assist the Central Burea deal expeditions by with this application. Feelings to the Central Burea	TERS
	u of Narcotics to
The arrangement and purpose of to-export; if so the see attraction	YES/NO
POR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1 03/140
chemical(s)? If so, please provide references and dates for last 3 exports.	YES/NO
(2)	
(3)	
21. Is the consigned a new customer for this chemical. If so, what is nature of customer's business?	YES/NO
To what use will the chemicals be put?	
22. was the order made directly or through a broker? If through broker please provide name and address:	YES/NO
22 - N	
23. a) What is the means of payment for the transaction? b) Name and address of payee	
c) Name and address of banker who will remit the payment	
d) Name and address of the bank in which the payment will be received 4. Please give details of customer's instructions for packaging and labeling of consignment:	
25. Is the consignment destined for, or will it transit, a free trade zone, free port or bonded warehouse? If so please provide details:	YES/NO
16. Has authorisation for the import been obtained from the competent authorities of the importing ountry? As evidence please attach original copies of import authorisation /NOC and any other relevant	YES/NO
7. Are you a manufacturer exporter? If so, from where you procure the raw material/finished roduct? Name and address of supplier/manufacturer along with the quantity and price thereof. Copy of the drug licence of the supplier of the raw material, wherever applicable. 8. Are you a trader exporter? If so, from where you procure the controlled substance(s)? Name and ddress of supplier/manufacturer along with the quantity and price thereof. Copy of the drug licence	YES/NO
f the supplier/ manufacturer of the controlled substance(s), wherever applicable. 9. Declaration by applicant:	
confirm that, to the best of my belief, all the information provided in this application is true.	
gnature Position in company/firm:	
ame: (Applicant) Stamp/ Seal	
presenting:	
P	
te	

List of documents to be submitted along with application form

- (i) copy of the registration under sub-clause (1) of clause 4 of this order if the controlled substance is also in Schedule-A
- (ii) Purchase order placed by the buyer / agent for the proposed export;
- (iii)Original import certificate issued by the competent authority of the importing country (wherever applicable);

1262 61/13-13

- (iv)In case the exporter is manufacturer, copy of valid drug manufacturing licence along with list of products as approved by the State Drug Control Authority, if the controlled substance intended to be exported falls under the category of drugs;
- (v) In case the exporter is trader, copy of valid licence to sell, stock or exhibit (or offer) for sale and distribution of drugs issued by State Drug Control Authority. Also a copy of the drug licence of the supplier/ manufacturer of the controlled substance(s), wherever applicable.
- (vi)Intended end-use declaration from the importer/ultimate consignee.

List of additional documents to be submitted by first time exporter of controlled substances

- (a) Complete postal address and telephone, fax no. of various factories of the company manufacturing controlled substances including Jurisdictional Central Excise division and Central Excise Commissionerate and Zonal office of Narcotics Control Bureau in respect of factories.
- (b) List of controlled substances being manufactured by the company and details of controlled substances by the company in the last three calendar years (1st January to 31st December).
- (c) Details of export/import of controlled substances by the company during the last three calendar years (1st January to 31st December).
- (d) Name, address, telephone Nos. and Fax No. of the Chairman, Managing Director and other Directors, proprietor/ partners, in charge of production and finance.
- (e) Sales Tax/ VAT Registration No., Central Excise Registration No. and Company's PAN No., Import-Export code, Certificate of incorporation of company along with memorandum and article of association of company/ partnership deed (Attested copies of these documents shall also be submitted.)
- (f) Name of concerned Jurisdictional Commissionerate of Customs and Central Excise.
- (g) Financial statement of Company/ firm for last three years.
- (h) Profile of the company.
- (i) Details of two authorised signatories of the company/firm along with their specimen signature of the authorised signatories duly authorised by the Board of Directors/Proprietor/ Partner of the company/ firm.

FORM-K [See sub-clause (2) of clasue 11]

Application form for import of controlled substance in Schedule-C

1. Importer (name, address, telephone and fax number):			2. NOC Number	:					
			Date of issue:						
			Place of issue Valid upto:						
Drug/ Trade Licence number:	(To be filled up by Central Bureau of Narcotics) 3. Expected date of dispatch:								
Central Excise registration number and issuing authority:									
4.Exporter (name and address)			5. Issuing authority (name, address and telefacsimile numbers) :						
			Narcotics Com Central Bureau	missione of Narco Morar,	er of Indi otics, M Gwalio	ia, linistr r, Ma	y of Fin dhya F	ance, Pradesh-474 006,	
Licence or registration number:			Fax No. : 91-751-2368111/2368577						
			Website: http://				nline.g	ov.in	
			Eimail: narcom@						
6. Other operator/agent (name and address)			7a. Drug Controller's recommendation. 7b. Issuing authority (name and address):						
			Telephone No : Fax number:						
8. Ultimate Consignee (in case of re-sale) (name and address):			9. Point of entry in India:				10. Mode of Transport;		
			11. Point of exit from exporting country:				12. Route:		
13. Full name of substances to be imported:		Quantity	Weight/ Volume per unit	14. HS number:		15. CAS number.		16. Net weight of controlled substance: (In Kilograms)	
(1)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Number of packets/cartons					L				
Weight/Volume of each packet/carton:					17. % o	f mixt	ure :		
Cost per unit/kg:	In Rs		• •	\$	18. Invoice number:				
Total cost	In Rs								

1262 GI/13-14

BACKGROUND INFORMATION TO BE SUBMITTED BY IMPORTE (The questions below are information about transaction and are intended to assist the Central Bureau and deal expeditiously with this application. Failure to provide full answers may lead to a dissue of the authorisation)	of Narcotics to
19. Is the import for the purpose of export/resale in India? If so please provide details.	YES/NO
20. Has your company imported these chemical(s) previously? If so, please provide references, dates and cost of import consignment wise for last 3 years. (1)	YES/NO
 21. Purpose of importation of the chemical. Are you a manufacturer or trader, please indicate. a) If trader, to whom the consignment will ultimately go. Name and address of the ultimate user, sale price and purpose of purchase by him. b) If manufacturer, how much finished product will be obtained from imported chemical (inputoutput ratio)? What is the selling price of finished product 	
To what use will the chemicals be put?	
22. Was the order made directly or through a broker? If through broker please provide name and address and quantum of consideration paid to him:	YES/NO
23. a) What is the means of payment for the transaction?	
24. Whether you have procured this chemical from domestic market (within a year). If so details thereof including name and address of suppliers (quantity wise and purchase price).	YES/NO
25. Furnish the details of total quantity chemical procured and consumed/resold/ processing loss (if any) for the last three years	3
26. Has specific licence for the proposed import been obtained from the Drug Controller Authorities of State/Country? As evidence please attach original copies of licence of Drug Controller and other relevant documentation.	YES/NO
27. Declaration by applicant: I confirm that, to the best of my belief, all the information provided in this application is true.	·
Signature : Position in company/firm :	···
Name: (Applicant) Stamp/ Seal Representing: Date:	

List of documents to be submitted along with the application

- (i) copy of the registration under sub-clause(1) of clause 4 of this order if the controlled substance is also in Schedule-A
- (ii) Copy of agreement/contract/purchase order confirmation with the overseas seller
- (iii)Licence to import drugs for the purpose of examination, test or analysis (Form 11 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945) issued by Drug Controller General (India) if the import is meant for test and analysis.
- (iv)Licence to import drugs (Form 10 of Drug and Cosmetic Rules 1945) issued by Drug Controller General (India) if the import is meant for trading or used for manufacturing formulation.

- (v) Disposal details in respect of controlled substances imported earlier;
- (vi)In case of manufacturer, copy of valid drug manufacturing licence along with list of products as approved by the State Drug Control Authority, wherever applicable.
- (vii) In case of trader, copy of valid licence to sell, stock or exhibit (or offer) for sale and distribution of drugs issued by State Drug Control Authority, wherever applicable.

List of additional documents to be submitted by first time importer of controlled substances

- (a) Complete postal address and telephone, fax no. of various factories of the company manufacturing controlled substances including Jurisdictional Central Excise division and Central Excise Commissionerate and Zonal office of Narcotics Control Bureau in respect of factories.
- (b) List of controlled substances being manufactured by the company and details of controlled substances by the company in the last three calendar years (1st January to 31st December).
- (c) Details of export/import of controlled substances by the company during the last three calendar years (1st January to 31st December).
- (d) Name, address, telephone Nos. and Fax No. of the Chairman, Managing Director and other Directors, proprietor/partners, in charge of production and finance.
- (c) Sales Tax/ VAT Registration No., Central Excise Registration No. and Company's PAN No., Import-Export code, Certificate of incorporation of company along with memorandum and article of association of company/ partnership deed (Attested copies of these documents shall also be submitted.)
- (f) Name of concerned Jurisdictional Commissionerate of Customs and Central Excise.
- (g) Financial statement of Company/ firm for last 3 years.
- (h) Profile of the company.
- (i) Details of two authorised signatories of the company/firm along with their specimen signature of the authorised signatories duly authorised by the Board of Directors/ Proprietor/ Partner of the company/ firm.

[F. No. N/11012/3/2010-NC-II] SATYANARAYANA DASH, Under Secy.